


1

आयुक्त/अध्यक्ष

आपकी अध्यक्षता में दिनांक 11-6-98 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्ध आपके अनुमोदनार्थ संलग्न है।

  
भुवनेश्वर सिंह  
उपाध्यक्ष  
मोदो विस्तो,  
20

24/6/98

Secy/M.C.

कृपया सभी सदस्यों को  
जारी करें। बकव के  
लिए गए निर्णयों का  
अनुपालन सुनिश्चित करें।

  
29/6/98

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-6-98 में उपस्थित  
अधिकारियों की उपस्थिति :-

---

- |   |                |
|---|----------------|
| 1-श्री बी०एम०वोहरा, आयुक्त/अध्यक्ष                                      | अध्यक्ष        |
| 2-श्री भुवनेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्र०                          | उपाध्यक्ष      |
| 3-श्री विनोद चमोली, अध्यक्ष, न०पा०प०, देहरादून                          | सदस्य          |
| 4-श्री ए०के०जैन, अधिशासी अभियंता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, देहरादून | सदस्य          |
| 5-श्री एम०ए०खान, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भाग                          | प्रति. सदस्य   |
| 6-श्री टी०एन०बघातनी, अधीक्षण अभियंता, जल निगम                           | ० प्रति. सदस्य |
| 7-श्री धर्मवीर सिंह, सहायक वन संरक्षक, देहरादून                         | प्रति. सदस्य   |

अन्य उपस्थिति

- 1-श्री आर० पी०पसबोला, सं०नि०कोषागार, गढ़वाल मण्डल
- 2-श्री वी०के०सोनकर, अधिशासी अभियंता, म०दे०वि०प्र०, देहरादून ।

-----

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक दिनांक 23-3-98 की कार्यवाही पढ़ी गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही की पुष्टि किए जाने से पूर्व उपस्थित सभी सदस्यों की राय उक्त की पुष्टि किए जाने के सम्बन्ध में ली गयी। उपस्थित सदस्यों द्वारा निम्नानुसार अपने विचार रखे गए :-

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेशों के अनुरूप नगरपालिका परिषद की रिक्त भूमियों को सरकिल रेट के आधार पर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना है लेकिन उन्होंने अवगत कराया गया कि गत बैठक में हिमप्रस्थ आवासीय योजना के लिए विकास प्राधिकरण को नगरपालिका की भूमि उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु प्राधिकरण स्तर पर इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की गयी है। इस पर उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस भूमि की कीमत २0-35 लाख नगरपालिका परिषद द्वारा मांगी गई है, कुल भूमि का क्षेत्रफल लगभग 4 हेक्टेअर है। इस पर विकास मद में होने वाले व्यय को जोड़ने के उपरान्त भूमि की प्रति वर्ग मीटर 3500/- कीमत आ रही है और विकास प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका द्वारा मांगी दर पर भूमि क्रय कर ली जाती है तो यह प्राधिकरण के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं हो सकती है क्योंकि भूमि पर विकास कार्य आदि किए जाने के उपरान्त यह काफी महंगी शाबित होगी।

विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, देहरादून व उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 इस विषय पर आपस में विचार-विमर्श के उपरान्त अंतिम निर्णय लें।

गत बैठक दिनांक 23-3-98 की कार्यवाही की पुष्टि के दौरान

श्रीमती राजरानी शर्मा द्वारा मालसी डियर पार्क में किए जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में भी बैठक में चर्चा हुई। सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भाग द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड के निर्णयानुसार उनके द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किए जाने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दी है जिस पर विकास प्राधिकरण द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आवेदिका द्वारा प्राधिकरण को धोखा देकर स्थल पर निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है। बैठक में अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस विषय पर विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से देहरादून महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग व मानकों के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर महायोजना के अनुरूप निर्माण कार्य की अनुमति दिए जाने हेतु उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्र० को अधीकृत किया गया।

विचारोपरान्त गत बैठक दिनांक 23-3-98 की कार्यवाही की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गयी।

#### विषय क्रमांक-01

फार्म हाऊस के निर्माण हेतु उप-विधि प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद देहरादून की जिज्ञासा के क्रम में उन्हें अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण कार्यालय में कृष्ण भू-उपयोग के अन्तर्गत अनेक भवन मानचित्र प्राप्त हो रहे हैं लेकिन इस हेतु उपविधियों निर्धारित न होने के कारण इस प्रकार के भवन मानचित्रों के निस्तारण में अनावश्यक बिलम्ब

अ/

हो रहा है तथा मानचित्रों के निस्तारण में एकरूपता नहीं आ रही है। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून को यह भी अवगत कराया गया कि इन उप-विधियों के लागू होने के उपरान्त जनता को अनावश्यक रूप से कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यह उपविधियों उन्हीं आवेदकों पर लागू होंगी जो कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फार्म हाऊसेज का निर्माण करवाना चाहते हैं। आम कृषकों पर इन उपविधियों का कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। यह उप-विधियों उन पर तभी लागू होंगी जब वह फार्म हाऊस निर्माण के लिए आवेदन करेंगे।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

#### विज्ञाप क्रमांक-02

मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने कृषि क्षेत्रों को छोड़कर नए विकासशील क्षेत्रों में तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने की दिशा में भवन मानचित्र स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्र० द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अनेक स्थानों पर कालोनाईजरी द्वारा बड़े भू-भाग को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लोगों को बेच दिया जाता है और आम जनता द्वारा इन भूखण्डों को क्रय करने के उपरान्त इन पर आवासीय निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण में आवेदन किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में इस प्रकार के मानचित्रों को स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है जिससे शहर का अनियोजित रूप से विकास होना स्वाभाविक है। अतः इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाए जाने के लिए यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा आम जनता की जानकारी के लिए इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत

आम जनता द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में भूखण्ड आवासीय निर्माण हेतु क्रय किए जाएं जहां का भू-विन्यास मानचित्र प्राधिकरण से अनुमोदित हो। विचारोपरान्त सर्व-सम्पत्ति से यह निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कालोनी के विधावत् स्वीकृति एवं विकसित होने तक कोई भी मानचित्र स्वीकृत न किए जाएं और केवल उन्हीं कालोनियों में, जो प्राधिकरण के पूर्व निर्णयों के अनुसार बिना ले-आउट स्वीकृत किए विकसित हो गयी हों, एवं जिनमें प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र पूर्व से ही स्वीकृत किए जा रहे हों, के अतिरिक्त किसी भी बड़े भूखण्ड को छोटे-छोटे भूखण्डों में सब-डिवीजन किए जाने के दशा में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी भवन मानचित्र स्वीकृत न किए जाएं ।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व-सम्पत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

विषय क्रमांक-03

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क का निर्धारण किए जाने के संबंध में

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन हेतु शुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। विचारोपरान्त आवासीय भवनों को छोड़कर अवशेष प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवासीय भवन के निर्माण के उपरान्त प्राधिकरण से कार्य-पूर्ति प्रमाण पत्र की मांग करता है तो उसे प्रस्ताव के अनुरूप मात्र रु0-50 शुल्क जमा करने के उपरांत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किया जाए।

विषय क्रमांक-04

निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, डेंटल कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्नातक विद्यालय एवं एम0बी0ए0कालेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई । विचारोपरान्त

नों  
व  
गेगी  
इकर  
में  
बैठक में  
विकास  
छोटे  
म जनता  
निर्माण  
ग द्वारा  
की  
होना  
यह

भाव दिया  
के लिए  
के अन्तर्गत

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने हेतु सर्व-सम्मति से उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कार्यवाही करने हेतु अधीकृत किया गया।।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत प्राधिकरण की विभिन्न कार्य-कलापों से सम्बन्धित प्रगति आंकड़ों, व्यय, भूमि बैंक, बैंक ऋण की स्थिति आदि से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रगति आंकड़ों का सभी सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।

#### विषय क्रमांक-05

प्राधिकरण के वादों के संचालन हेतु अनुबन्धित अधिवक्ताओं सर्व श्री प्रेम चन्द्र शर्मा तथा अखिल शर्मा को मानदेय में बढोत्तरी को अनुमोदित किए जाने के सम्बन्ध में।

---


प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गयी कि इन अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सर्व श्री प्रेम चन्द्र शर्मा को ₹0 4,000/- एवं अखिल शर्मा को ₹0-3,500/- मानदेय दिया जाए यह भी निर्देश दिए गए कि इन अधिवक्ताओं की परफारमेंस शीट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाए।

#### विषय क्रमांक-06

प्राधिकरण के लिए एक वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

---

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित करते हुए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किए जाने हेतु अधीकृत किया गया।



विषय क्रमांक-7

प्रेक्षागृह के लिए हरिद्वार रोड से सहारनपुर रोड को जोड़ने वाली बाईपास रोड से पूर्व की ओर अजबपुरकला ग्राम समाज की भूमि प्राधिकरण को आवंटित करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

प्रेक्षा गृह के लिए प्रस्तावित स्थल पर ग्राम समाज के जो खासरा नम्बर है उन्हें निःशुल्क रिजमेशन करके विकास प्राधिकरण को देने के लिए जिलाधिकारी कार्यवाही करें।

विषय क्रमांक-08

शासन द्वारा लागू की गयी आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए भवनों के निर्माण करने हेतु योजना तथा योजना के लिए आपसी वार्ता द्वारा भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से निर्मित अनेक आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित आवासीय भवन रिक्त है इसलिए इस लक्ष्य पूर्ति हेतु इन भवनों को उपयोग में लिया जाए। इस पर बैठक में अवगत कराया गया कि आश्रय योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा लागत मूल्य पर ही भवनों के आवंटन के निर्देश दिए गए हैं जिसके कारण इन भवनों को इस उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की आम राय यह थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा पहले आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले भवनों के सम्बन्ध में डिमाण्ड का पता लगा लिया जाए तदोपरान्त उतने ही भवनों के निर्माण हेतु भूमि क्रय एवं भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया जाए। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि यदि विकास प्राधिकरण शासन द्वारा निर्धारित आश्रय योजना के अन्तर्गत दिए गए लक्ष्य के अनुरूप भवनों का विक्रय करने में किसी प्रकार की आशंका महसूस करते हैं तो इस हेतु अध्यक्ष की ओर से शासन से अनुरोध कर लिया जाए कि इस प्राधिकरण हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को कम कर दिया जाए।

OK

विषय क्रमांक-09

ईको फण्ड से विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। आम सहमति यह थी कि चूँकि विकास प्राधिकरण द्वारा भट्टाफौल व गुच्छुपानी पर्यटक स्थलों पर विकास कार्य वर्तमान में प्रस्तावित कर दिए गए हैं इसलिए पहले इन दोनों स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित धनराशि का उपयोग किया जाए। अवशेष के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांक-10

राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क के रखरखाव के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का सुझाव था कि गांधी पार्क का विकास/सौन्दर्यीकरण करते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि पार्क का विकास सुनियोजित ढंग से हो। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि प्रदेश सरकार द्वारा समस्त पार्कों को शुल्क से मुक्त रखाने का निर्णय लिया गया है इसलिए गांधी पार्क के विकास के उपरान्त इस पर भी कोई प्रवेश शुल्क आदि न लगाया जाए। उपाध्यक्ष, मोदेविप्रतो द्वारा अवगत कराया गया कि गांधी पार्क नजूल भूमि पर स्थित है इसलिए इसका प्रबन्ध/नियंत्रण विकास प्राधिकरण के पास होना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि पार्क के अन्दर जौगिंग ट्रैक इत्यादि बनाए जाएं और पार्क का विकास सुनियोजित ढंग से प्रस्तावित करने के साथ-साथ उक्त पार्क में लोगों के प्रवेश हेतु समय भी निर्धारित किया जाए जिससे पार्क में अनावश्यक रूप से असामाजिक तत्व प्रवेश न कर सकें। उपरोक्त निर्णयों/निर्देशों के साथ प्रारम्भ में उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु 10 लाख रु० व्यय करने हेतु सर्व-सम्मति से अनुमति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि फण्ड की उपलब्धता को दृष्टिगत रखाते हुए इस पार्क के विकास पर अग्रेत्तर धनराशि व्यय की जाए।

विषय क्रमांक-11

पर्यटक स्थल भदटाफौल, गुलरघाटी, सहस्रधारा में जो ग्राम समाज की भूमि है, को प्राधिकरण को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हुई सदस्यों का सुझाव था कि चूंकि जिलाधिकारी, देहरादून आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं अतः इस प्रस्ताव को चर्चा हेतु आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक प्रस्तुत किया जाए। अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि इस बीच जिलाधिकारी देहरादून को उपरोक्त स्थलों की ग्राम समाज की भूमि को विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष/आयुक्त की ओर से पत्र प्रेषित किए जाएं।

विषय क्रमांक-12

नेहरूपुरम् आवासीय योजना में निर्मित एम0आई0जी0 तथा एच0आई0जी0 भवनों में से क्रमशः 5 व 3 भवन प्राधिकरण अधिकारियों के निवास हेतु आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदित करते हुए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधीकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन भवनों के सम्बन्ध में सामान्य जनता से आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इन्हें प्राधिकरण अधिकारियों से रिक्त करवाना होगा। यह भी निर्देश दिए गए कि इन भवनों को प्राधिकरण अधिकारियों के व्यक्तिगत नाम से उनके पक्ष में आवंटन न किया जाए। और जो भी आवंटन होगा पदेन होगा।

विषय क्रमांक-13

कर एवं राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक के क्रमशः 1 पद तथा 4 पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। निर्देश दिए गए कि पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाए।

०६९

अन्य विषय क्रमांक-01

त्यागी रोड की ओर से सिंगल मण्डी के पास रेलवे लाईन पर फ्लाई ओवर का निर्माण ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्राधिकरण द्वारा देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित किए गए उपरोक्त फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव की सदस्यों द्वारा सराहना करते हुए इसे सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य विषय क्रमांक-02

गांधी रोड स्थित बस स्टैण्ड के स्थान पर शापिंग काम्प्लेक्स विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि आपसी वार्ता से भूमि क्रय करने से पूर्व उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून के स्थानीय अधिकारियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त तथा उनकी सहमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव विचारार्थ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अन्य विषय क्रमांक-03

मसूरी नगर में 02 पार्किंग स्थलों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि मसूरी शहर में पार्किंग स्थलों की नितान्त आवश्यकता है। सदस्यों का कहना था कि पार्किंग स्थलों की कमी के कारण पर्यटक सीजन में मसूरी में प्रायः ट्रैफिक जाम रहता है। चर्चा के दौरान आम सहमति यह थी कि मसूरी के विकास में यह एक सार्थक पहल है इसलिए प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इसे भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

अन्य विषय क्रमांक-04

मसूरी व देहरादून में वृक्षारोपण, कैसिंग एवं टी गार्ड के लिए ईको फण्ड से 15 लाख रु० आवंटित करने का प्रस्ताव ।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्पत्ति से अनुमोदित किया गया।

अन्य विषय क्रमांक-05

इंदिरा भवन मसूरी के नजदीक नगरपालिका परिषद, मसूरी के देचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र शिफ्ट करने के सम्बन्ध में ।

विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्पत्ति से अनुमोदित किया गया। नगरपालिका देचिंग ग्राउण्ड को तत्काल हटवाने की व्यवस्था हेतु आवादी से दूर जमीन उपलब्ध करा दें। विकास प्राधिकरण अवस्थापना फण्ड से इसे विकसित करा दें।

अन्य विषय क्रमांक-06

श्री राजेश कुमार गुप्ता के भवन मानचित्र संख्या-1183/95-96 सम्पत्ति सं०-30 चकराता रोड निकट यमुना कालोनी देहरादून की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में किए गए संशोधनों तथा जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप विकास प्राधिकरण द्वारा विगत में प्रस्तावित किए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा उपरोक्त स्थल पर किए गए निर्माण को भी पीछे हटाने के निर्देश दिए गए और श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा तत्समय अपना निर्माण पीछे हटा दिया था। उस समय श्री राजेश कुमार को यह आश्वासन दिया गया था कि वे भविष्य में जब भी इस स्थल पर निर्माण नियमों के अनुकूल प्रस्तावित करेंगे, उस पर उनका भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया जायेगा। बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री राजेश कुमार द्वारा लोक निर्माण विभाग सड़क की चौड़ाई के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण

पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है लेकिन देहरादून महायोजना में प्रश्नगत रोड की चौड़ाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण इनके भवन मानचित्र के निस्तारण में बिलम्ब हो रहा है जबकि मौके पर आवेदक द्वारा बिल्डिंग लाईन में ही निर्माण प्रस्तावित किया गया है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में शपथ पत्र रोड की चौड़ाई के सम्बन्ध में लेते हुए सशर्त स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक का भवन मानचित्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत कर दिया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि देहरादून महायोजना में प्रश्नगत स्थल की भौतिक स्थिति को देखाते हुए प्रश्नगत सड़क की स्थिति का पूर्ण विवरण देते हुए रोड की चौड़ाई को महायोजना में कम किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।

अन्य विषय क्रमांक-07

श्री त्रिलोक सिंह, प्रधान, महादेवी कन्या पाठशाला सोसाईटी, देहरादून के कालेज परिसर में स्थित महिला छात्रावास के अवैध निर्माण वाद संख्या- 1115/एस-2/95 को शमन शुल्क कम करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। आम सहमति यह थी कि चूंकि यह शैक्षणिक संस्था का प्रकरण है इसलिए सदस्यों की राय थी कि इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम धनराशि रु 5000/- पर प्रकरण समाप्त कर दिया जाए।

अन्य विषय क्रमांक-8

श्री स्वर्णपाल सिंह रणावत एवं श्री विजेन्द्रपाल सिंह रणावत मुख्यातारे आम श्री छात्रावास, सिंह रणावत 16 राजपुर रोड के प्रस्तावित निर्माण पर विचार करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। यह निर्देश दिए गए कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित चौथी मंजिल में केवल 100 वर्ग मीटर क्षेत्र ही कवर्ड किया जायेगा और इस चौथी मंजिल का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन हेतु किया जायेगा। सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया

कि उक्त स्थल महायोजना में व्यावसायिक उपयोग दर्ज है। लेकिन बाईलौज के अनुसार व्यावसायिक भवन पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है लेकिन एफ0ए0आर0 नहीं बढ़ना चाहिए। प्रश्नगत भूखण्ड का एफ0ए0आर0 1.5 अनुमन्य है जबकि पहले ही 1.8 एफ0ए0आर0 पर निर्माण है। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से आग्रह किया गया कि चूँकि भूतल पर कोई निर्माण नहीं होगा और सैट बैक प्रभावित नहीं होंगे इसलिए विकास प्राधिकरण इस मामले में विशिष्ट छूट देने पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे मामले उदाहरण बन सकते हैं इसलिए नगरपालिका अध्यक्ष के अनुरोध पर विशिष्ट छूट देते हुए भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिया लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष भविष्य में नहीं रखा जायेगा और प्रार्थी प्राधिकरण में जमा कराए गए मानचित्र के अतिरिक्त कोई भी निर्माण नहीं करेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ भवन मानचित्र को अनुमोदन दिए जाने हेतु सर्व-सम्मति से उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्र0 को अधीकृत किया गया।

अन्य विषय क्रमांक-09

श्री रवि कुमार कार्की द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं० 1504/97-98 ग्रामा कोल्हूपानी ख0न0-363 पर आवासीय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का सुझाव था कि प्रश्नगत भवन मानचित्र महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत प्रस्तावित किया गया है जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रकरण को सर्व-सम्मति से शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि अगर इस तरह के भवन मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किए गए हों तो उन पर शासन की स्वीकृति एक्स पोस्ट फैक्टो ली जाए।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धान्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

॥ भुवनेश्वर सिंह ॥  
उपाध्यक्ष,  
म0दे0वि0प्र0,  
देहरादून  
20/6/18

॥ बी0एम0वोहरा ॥  
आयुक्त,  
गढ़वाल मण्डल,  
अध्यक्ष,  
म0दे0वि0प्र0, देहरादून।